"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल 2012—चैत्र 27, शक 1934

कृषि (पशुधन विकास) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

अधिसूचना

क्र./393/एफ 8-1/35/काविवि/2012.—छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अप्रैल, 2012 के ग्यारहवें दिन को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के रूप में नियत करती है.

Raipur, the 16th April 2012

NOTIFICATION

No./393/F 8-1/35/KVV/2012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 21 of 2011), the State Government, hereby, appoints the Eleventh day of April, 2012 as the date on which said Act shall come into force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.